

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3411

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कंपनियों द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करना

3411. श्री संजय धोत्रे :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जो अपने प्रारंभ के तीन वर्षों के भीतर ही बंद हो गईं;
- (ख) क्या उक्त कंपनियों ने कंपनी अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों में यथाकल्पित प्रावधानों के अनुसार, अपने स्थापन की तिथि तक बैलेंस-शीट, वार्षिक रिटर्न और अन्य रिटर्न/ब्यौरा जमा कर दिया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ.) क्या हरियाणा सहित देश के कुछ राज्यों में कुछ भू-संपत्ति व्यवसायी कंपनियां मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) इस संबंध में, सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी को "बंद करने" का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को निष्क्रिय कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाने की शक्ति प्राप्त है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से तीन वर्ष के अंदर रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की संख्या अनुलग्नक-1 में विवरण में दी गई है। विवरण में उन कंपनियों की संख्या भी दर्शाई गई है जिन्होंने अपने वार्षिक रिटर्न/तुलन पत्र फाइल नहीं किए हैं। बंद कंपनियों द्वारा वार्षिक रिटर्न/तुलन पत्र फाइल न करने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की जाती है।

(ङ.) और (च) : सूचना एकत्र की जा रही है।

दिनांक 01.08.2014 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3411 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उन कंपनियों की संख्या जिनके नाम पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यवसाय आरंभ करने के तीन वर्ष के अंदर हटा दिए गए और उनकी तुलन पत्र आदि फाइल करने की स्थिति।

क्र.सं.	विवरण	बंद कंपनियों की संख्या	इनमें से जिनके द्वारा	
			वार्षिक रिटर्न/तुलन पत्र फाइल नहीं किए गए	फाइल किए गए
1.	कंपनियों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान पंजीकरण/व्यवसाय प्रारंभ किया और 2011-12 के दौरान नाम हटा दिया गया।	468	364	104
2.	कंपनियों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान पंजीकरण/व्यवसाय प्रारंभ किया और 2012-13 के दौरान नाम हटा दिया गया।	796	665	131
3.	कंपनियों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान पंजीकरण/व्यवसाय प्रारंभ किया और 2013-14 के दौरान नाम हटा दिया गया।	856	622	234
	कुल	2120	1651	469
